



2026:AHC:64774

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या - 562/2026

ज़फ़र अली

..... प्रार्थी(गण)

बनाम

नेहा प्रकाश, निदेशक, प्रशिक्षण एवं रोज़गार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

..... विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता : शोअर मोहम्मद खान

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या - 9

माननीय न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल

1. रिट न्यायालय ने दिनांक 14.07.2023 को, रिट-ए संख्या 4889/2023 का निस्तारण करते हुए, निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"आज दाखिल किया गया प्रत्युत्तर शपथ-पत्र अभिलेख पर लिया गया।

याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एस.एन. खान और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अजीत कुमार सिंह को सुना।

वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनकी बहन कुमारी हमीदा बानो (जो अब दिवंगत हैं) को शुरू में दिनांक 27.11.1997 को सरकारी औद्योगिक संस्थान, अलीगढ़ में एक प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता का आगे यह भी कहना है कि उनकी बहन अविवाहित थीं और अविवाहित रहते हुए ही दिनांक 12.01.2017 को सेवाकाल के दौरान उनका निधन हो गया। याचिका के प्रस्तर 5 और 6 में आगे यह भी कहा गया है कि दिवंगत बहन अपने पीछे चार भाइयों को छोड़ गई हैं, जिनके नाम साजिद अली,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शाहिद अली, ताहिर अली और स्वयं याचिकाकर्ता (ज़फ़र अली) हैं। याचिका के प्रस्तर 6 में आगे यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता के अन्य भाई, जिनका नाम ज़ाहिद अली था, का निधन दिनांक 05.11.2019 को, साजिद अली का दिनांक 29.12.2019 को और ताहिर अली का दिनांक 15.01.2020 को हो गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, सिविल जज (सीनियर डिवीज़न), रामपुर के समक्ष एक उत्तराधिकार मामले की कार्यवाही दायर की गई थी, जिसका नंबर 17/2018 (ज़फ़र अली बनाम साजिद अली और अन्य) था। यह मामला मृतक बहन के कानूनी वारिस को जीपीएफ ग्रेच्युटी और अन्य देय राशियों को जारी करने और उनका भुगतान करने से संबंधित था। इस मामले का अंतिम निर्णय दिनांक 30.01.2019 को आया, जिसका संदर्भ प्रस्तर 7 और 8 में दिया गया है; इसकी एक प्रति पेपर बुक के पृष्ठ 23 पर संलग्नक 3 के रूप में संलग्न है। याचिकाकर्ता के अनुसार, वह सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों का हकदार बन गया है। इस संबंध में, याचिका के प्रस्तर 9 में आगे यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने तीसरे प्रतिवादी सरकारी महिला औद्योगिक संस्थान, रामपुर के समक्ष भी, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर, उक्त लाभों के भुगतान के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया था; हालाँकि, उसे अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तर 12 में आगे यह भी कहा है कि वह एनएसजी से संबंधित 30,000/- रुपये की राशि का भी दावा करता है। यह दावा उसने रामपुर के सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) के न्यायालय में दायर 'उत्तराधिकार वाद संख्या 100/2001' में प्राप्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर किया है। उक्त वाद में दिनांक 16.03.2022 को याचिकाकर्ता के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया था। याचिकाकर्ता आगे यह अभिकथन करता है कि उत्तराधिकार मामले में पारित आदेशों को चुनौती नहीं दी गई है और वे अंतिम रूप प्राप्त कर चुके हैं।



याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि, इस तथ्य के बावजूद कि वह सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले सभी बकायों का हकदार है, उसे उनका भुगतान नहीं किया गया है।

वर्तमान याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि दूसरे प्रतिवादी को यह निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता के पेंशन संबंधी लाभों के दावे पर विचार करे।

इस न्यायालय ने दिनांक 29.03.2023 को विद्वान स्थायी अधिवक्ता को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसके अनुपालन में, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नैनी, इलाहाबाद के प्रधानाचार्य द्वारा दिनांक 09.05.2023 को एक प्रति-शपथ पत्र दाखिल किया गया है। प्रति-शपथ पत्र के प्रस्तर 4 और 9 में, प्रतिवादियों का यह रुख है कि चूंकि मृतक ने अपने जीवनकाल के दौरान नॉमिनेशन कॉलम में किसी नॉमिनी का नाम नहीं डाला था, इसलिए याचिकाकर्ता इसका हकदार नहीं है; हालांकि, उन्होंने याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी किए गए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के तथ्य पर कोई विवाद नहीं किया है। विद्वान स्थायी अधिवक्ता के अनुसार, याचिका को सुनवाई के लिए लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हालांकि, उनके मतानुसार, याचिकाकर्ता के दावे पर विचार स्वयं द्वितीय प्रतिवादी द्वारा ही किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस बात की जाँच करते समय कि क्या उक्त उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र किसी विधिक वारिस या किसी तीसरे पक्ष के अनुरोध पर रद्द किया गया था या नहीं, विशेष रूप से याचिकाकर्ता के दावे पर कोई विचार नहीं किया है।

विरोधी पक्षों की दलीलों और उनके द्वारा अपनाए गए रुख को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका का निस्तारण प्रतिवादी से कोई जवाब लिए बिना किया जा रहा है। इसके साथ ही, याचिकाकर्ता को यह छूट दी जाती है कि वह याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करते हुए, दूसरे प्रतिवादी निदेशक, प्रशिक्षण एवं रोजगार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से संपर्क कर सकता है। उक्त प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर, दूसरा प्रतिवादी याचिकाकर्ता के दावे पर विचार



करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस विचार-विमर्श के दौरान वह यह सुनिश्चित करेगा कि क्या संबंधित 'उत्तराधिकार प्रमाण पत्र' वास्तव में अस्तित्व में है, अथवा उसे चुनौती दी गई है और वह चुनौती किसी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। संतुष्ट होने के बाद और संबंधित पक्षों को नोटिस देने के उपरांत और यदि कुछ अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता हो, तो याचिकाकर्ता को उन्हें प्रस्तुत करने के लिए पहले से सूचित करके, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, विधि के पूर्ण अनुपालन में, अंतिम आदेश पारित किए जाएँ।

उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका का निस्तारण किया जाता है।"

2. आज, राज्य की ओर से एक अनुपालन शपथ-पत्र दायर किया गया है, जिसमें प्रस्तर संख्या 12 में यह कहा गया है कि प्रार्थी के दावे का निस्तारण दिनांक 18.08.2025 के आदेश का अनुपालन करते हुए दिनांक 17.11.2025 को कर दिया गया था। उक्त आदेश की प्रति अनुपालन शपथ-पत्र के साथ संलग्नक -4 के रूप में संलग्न की गई है।
3. उक्त तथ्य के मद्देनज़र, चूंकि रिट न्यायालय के आदेश का पालन कर दिया गया है, अतः अवमानना याचिका निष्प्रभावी हो गई है और उसका निस्तारण किया जाता है।
4. अवमानना नोटिस निरस्त किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल)

28 मार्च, 2026

वी. एस. सिंह